

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2025-स्था.।

01.01.2026

विषय: एम्स, नई दिल्ली में वस्त्रों और लॉन्ड्री सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा हाल ही में विभिन्न रोगी उपचार क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चादरों और कंबलों की गुणवत्ता, प्रकार एवं स्थिति तथा लॉन्ड्री संचालन के कुछ पहलू भी संतोषजनक नहीं हैं और इनका रोगियों की निजता, आराम, संक्रमण नियंत्रण और नैदानिक क्षेत्रों के समग्र स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से यह देखा गया है कि:

- विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र (बिस्तर की चादरें, तकिए के कवर, रोगी गाउन, ड्रॉ शीट, ड्रेप्स और पर्दे) की गुणवत्ता और प्रकार अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं थे।
- रोगियों की निजता पूर्णतः सुनिश्चित नहीं की जा रही थी क्योंकि कुछ गाउन और ड्रेप्स या तो पारदर्शी थे, ठीक से फिट नहीं हो रहे थे या नाप में असुविधाजनक थे, जिससे जांच और प्रक्रियाओं के दौरान रोगियों की गरिमा बनाए रखने में कठिनाई आ रही थी।
- कहीं-कहीं चादरें और तकिए के कवर ठीक से फिट नहीं थे, गद्दों को पर्याप्त रूप से नहीं ढका हुआ था और ठीक से गद्दे के नीचे नहीं दबाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को अनावश्यक रूप से असुविधा हो रही थी और रोगी उपचार क्षेत्रों का स्वरूप अव्यवस्थित और गैर-पेशेवर लग रहा था।
- कुछ कंबल और चादरें स्पष्ट रूप से घिसी-पिटी, बदरंग और कुछ मामलों में फटी हुई या छिद्रयुक्त थीं, जिससे वे रोगियों के उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो गई थी और वस्त्र प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण के स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं थीं।

अस्पताल के उत्तम तौर-तरीकों तथा मान्यता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप वस्त्र और लॉन्ड्री की गुणवत्ता के मानकीकरण और व्यवस्था के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल संबंधी सभी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित विशिष्टताओं का पालन किया जाएगा और भविष्य की सभी निविदाओं में इनका विस्तार से उल्लेख किया जाएगा:

- वस्त्र टिकाऊ, मेडिकल-ग्रेड के कपड़े का होना चाहिए जिसमें पर्याप्त थ्रेड काउंट और जीएसएम हो, जो त्वचा के लिए नरम हो और तकलीफदेह न हो, और संरचनात्मक समग्रता को गवां बिना बार-बार उच्च तापमान और कीटाणुनाशक धुलाई के लिए उपयुक्त हो।
- कपड़े अपारदर्शी और गैर-पारदर्शी होने चाहिए ताकि रोगी की निजता का उल्लंघन न हो; रंग, स्वरूप और चिह्न संस्थागत मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए और वार्ड/क्षेत्र या रोगी श्रेणी की आसानी से पहचान सुनिश्चित हो सके।

- नियमित उपयोग और प्रोसेसिंग के दौरान उधड़ने, फटने और विरूपित होने से रोकने के लिए सिलाई, जोड़ और किनारे मजबूत, एक समान और साफ-सुथरे ढंग से तैयार किए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वयस्क और बाल रोगियों के लिए उपयुक्त रोगी वस्त्र, गाउन, ड्रॉ शीट और ड्रेप्स के कई मानक नाप उपलब्ध हों ताकि रोगी की निजता में कोई उल्लंघन या सुविधा में कोई परेशानी न हो।
- बेडशीट, तकिए के कवर, रोगी गाउन, ड्रॉ शीट और ड्रेप्स के लिए उपयोग किया जाने वाला वस्त्र बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मापदंडों कपड़े की संरचना (कॉटन/पॉली-कॉटन या अन्य अनुमोदित मिश्रण का प्रतिशत), कपड़े की बनावट (बुनाई का प्रकार), न्यूनतम थ्रेड काउंट और जीएसएम जो बार-बार अस्पताल में धुलाई और कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त हो को, पूरा करे या उससे अधिक हो।
- न्यूनतम उधड़ने की क्षमता, फटने की क्षमता, पिलिंग प्रतिरोध, धुलाई के प्रति आयामी स्थिरता (सिकुड़न सीमा), धुलाई और कीटाणुनाशकों के प्रति रंग स्थिरता और सीम स्लिपेज प्रतिरोध जैसे प्रदर्शन मापदंड अस्पताल वस्त्रों के लिए लागू बीआईएस मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवा परिवेश में वस्त्र अपने अपेक्षित जीवनकाल में सुरक्षित और उपयोगी बना रहे।

संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करने तथा अस्पताल के वस्त्रों के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, एक उत्तम, संक्रमण-नियंत्रित अवरोधक लॉन्ड्री के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं वर्तमान संचालन (जहां तक संभव हो) और सभी भविष्य की योजना एवं उन्नतीकरण पर लागू होंगी:

- "गंदे/दूषित" तथा "साफ/कीटाणुरहित" क्षेत्रों के बीच स्पष्ट भौतिक और कार्य संबंधी विभाजन होना चाहिए, और पुनः दूषित होने को रोकने के लिए, दूषित से स्वच्छ क्षेत्र में वस्त्र की आवाजाही सख्ती से एकतरफा होनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ, बैरियर/वॉशर एक्सट्रैक्टर या समकक्ष प्रणालियों के माध्यम से।
- प्रवेश नियंत्रण लागू किया जाएगा ताकि स्टाफ, ट्रॉली और सामग्री दूषित क्षेत्र से स्वच्छ क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें; अलग-अलग प्रवेश/निकास मार्ग, निर्दिष्ट रंग-कोडित ट्रॉली और स्टाफ के लिए उपयुक्त कपड़े बदलने और हाथ धोने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- वाशिंग मशीनें प्रोग्रामिंग युक्त चक्र से लैस होनी जिसमें प्रमाणित तापीय तथा/अथवा रासायनिक कीटाणुशोधन संभव हो, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन और ऑडिट के लिए प्रमुख मापदंडों (समय, तापमान, रसायन की मात्रा और लोड आकार) की स्वचालित रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होनी चाहिए।
- सभी मुख्य वॉशर एक्सट्रैक्टरों में डिटर्जेंट, कीटाणुनाशक और अन्य प्रक्रिया रसायनों के लिए स्वचालित मात्रात्मक प्रणाली होनी चाहिए ताकि मानवीय अनुमान पर निर्भरता के बिना सटीक, सुसंगत और पता लगाने योग्य मात्रा सुनिश्चित की जा सके।
- वायु संचार और वायु प्रवाह का पैटर्न दूषित एवं स्वच्छ क्षेत्रों को अलग करने में सहायक होना चाहिए, जिसमें दूषित क्षेत्र में उचित दबाव अंतर और निकास की व्यवस्था होगी, और स्वच्छ क्षेत्र को दूषित हवा के प्रवेश से बचाया जाएगा।

- कपड़े धोने वाले कार्मिकों के लिए कार्य क्षेत्रों में तापमान और आर्द्रता को आरामदायक सीमा के अंतर्गत बनाए रखा जाए, साथ ही पर्याप्त ताजी हवा की आपूर्ति और गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों पर स्थानीय निकास की व्यवस्था की जाए ताकि गर्मी के तनाव को कम किया जा सके।
- संस्थागत संक्रमण नियंत्रण नीतियों के अनुरूप, धूल, रेशे और सूक्ष्मजीवों के एयरोसोलेशन और प्रसार को कम करने के लिए वायु शोधन और निकास व्यवस्था को डिज़ाइन किया जाएगा।
- एकसमान मानकों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान के वस्त्र और लॉन्ड्री संचालन को अधिमानतः एक ही विक्रेता के तहत, सामान्य मानक परिचालन प्रक्रियाओं, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, पता लगाने की क्षमता और नियमित निगरानी के साथ एकीकृत किया जाएगा।

लागत-प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए, प्रायोगिक तौर पर, मातृ एवं शिशु ब्लॉक में रोगी बिस्तरों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप नए बिस्तरों से बदला जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए बिस्तर कई नापों में उपलब्ध हों ताकि रोगियों पूरी तरह फिट हों और उनकी निजता बनी रह सके। यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बाल रोगियों के लिए बिस्तरों पर बच्चों के अनुकूल प्रिंट हों और प्रसूति रोगियों के लिए बिस्तर ऐसे हों जो गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी उनकी निजता सुनिश्चित करे। नए बिस्तरों के संबंध में रोगियों और स्टाफ से 6 माह तक फीडबैक प्राप्त किया जाएगा, जिसके आधार पर इस प्रणाली को एम्स, नई दिल्ली के सभी नैदानिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरण:(इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केन्द्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई इज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा (इस कार्यालय ज्ञापन को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित)

Sub: Quality of Linen & Laundry services at AIIMS New Delhi reg.

The undersigned has observed during recent rounds of various patient care areas that the quality, type and condition of linen and blankets, as well as certain aspects of laundry operations, are suboptimal and are adversely affecting patient privacy, comfort, infection control and the overall appearance of clinical areas. It has been specifically noted that:

- The quality and type of linen (bedsheets, pillow covers, patient gowns, draw sheets, drapes and curtains) in several areas were not up to the desired standards.
- Patient privacy was not being fully ensured as some gowns & drapes were either transparent, ill-fitting or inadequate in size, thereby compromising patient dignity during examination and procedures.
- Bedsheets and pillow covers were sometimes ill-fitting, did not adequately cover mattresses and were not properly tucked, resulting in avoidable discomfort to patients and an untidy, non-professional appearance of patient care areas.
- A few blankets and bedsheets were visibly worn out, discoloured and, in some instances, torn or with holes, rendering them unsuitable for patient use and inconsistent with accepted standards of linen management and infection control.

To ensure standardization of linen and laundry quality, and system integration in line with good hospital practice and accreditation expectations, the following features shall be adhered to for all hospital linen and detailed in all future tenders:



- Linen shall be of durable, medical-grade fabric with adequate thread count and GSM, soft and non-irritant to skin, and suitable for repeated high-temperature and disinfectant wash without loss of structural integrity.
- Fabrics must be opaque and non-transparent so as not to compromise patient privacy; colours, patterns and markings shall follow institutional norms and enable easy identification of ward/area or patient category.
- Stitching, seams and edges shall be strong, uniform and neatly finished to prevent fraying, tearing and distortion during routine use and processing.
- Availability of multiple standard sizes of patient linen, gowns, draw sheets, drapes suited to adult & paediatric patients shall be ensured so that patient privacy and comfort is not compromised.
- Linen used for bedsheets, pillow covers, patient gowns, draw sheets and drapes shall meet or exceed the minimum BIS-specified parameters for: fabric composition (percentage of cotton/poly-cotton or other approved blends), fabric construction (weave type), minimum thread count and GSM suitable for repeated hospital laundering and disinfection.
- Performance parameters such as minimum tearing strength, bursting strength, pilling resistance, dimensional stability to washing (shrinkage limits), colour fastness to washing and disinfectants, and resistance to seam slippage shall be in line with the applicable BIS norms for hospital textiles, so that the linen remains safe and serviceable over its expected life in a healthcare environment.

To strengthen infection prevention and control and ensure safe handling of hospital linen, the following requirements for a good, infection-controlled barrier laundry shall apply to current operations (to the extent feasible) and to all future planning and upgradation:




- There shall be clear physical and functional separation between “soiled/contaminated” and “clean/disinfected” zones, with strictly unidirectional movement of linen from dirty to clean side, preferably through barrier/washer extractors or equivalent systems, to prevent re-contamination.
- Access control shall be enforced so that staff, trolleys and materials from the dirty side do not enter the clean side; separate entry/exit routes, designated colour-coded trolleys and appropriate staff changing and hand-hygiene facilities shall be provided.
- Washing machines shall be equipped with programmable cycles that permit validated thermal and/or chemical disinfection, with automated recording of key parameters (time, temperature, chemical dosage and load size) for quality assurance and audit.
- All main washer extractors shall have automatic dosing systems for detergents, disinfectants and other process chemicals to ensure accurate, consistent and traceable dosing without dependence on manual estimation.
- Ventilation and air-flow patterns shall support the separation of dirty and clean zones, with appropriate pressure differentials and exhaust in the soiled area, and protection of the clean area from ingress of contaminated air.
- Temperature and humidity in work areas shall be maintained within a comfortable range for laundry personnel, with adequate fresh air supply and local exhaust at heat-generating equipment to reduce heat stress.
- Air filtration and exhaust arrangements shall be designed to minimise aerosolisation and spread of dust, lint and microorganisms, in alignment with institutional infection-control policies.



- To ensure uniform standards and accountability, linen and laundry operations of the Institute shall be integrated, preferably under a single vendor, with common SOPs, key performance indicators, traceability and regular monitoring.

To ensure optimal cost benefit, as a pilot, patient linen in Mother & Child Block shall be replaced with new fitting linen as per international best practices. It shall be ensured that the new patient linen is of multiple sizes to ensure proper fit and privacy for patients. Special care should be taken to ensure that linen for paediatric patients has child friendly prints and the linen for Obstetrics patients ensures privacy even for patients in advanced stage of pregnancy. Feedback shall be obtained from patients and staff for 6 months regarding the new linen, basis which the said system maybe expanded across all clinical areas of AIIMS New Delhi.



Prof. M Srinivas

Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility (with a request to upload this OM on AIIMS website)